न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 172/2016 **दायरा दिनांक : 06.09.2016**

उनवान

फकीर चन्द आत्मज मोखा, जाति तेली, निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– भैरू लाल आत्मज रतनलाल, जाति तेली, निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 48/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में निर्णय पारित किया, यह निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं अपीलांट की सहमति के बिना ही प्रकरण का लोक अदालत में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का तनकीवार एवं साक्ष्य के बिना ही

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 184 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम मोकलखेड़ी में है इसमें से खसरा नम्बर 183 रकबा 1 बीघा आराजी वादी भैरूलाल के पिता रतनलाल ने अपने जीवनकाल में 100/– रूपये में अपीलांट के पिता मोखा उर्फ मोखचन्द को बेचान कर कब्जा दे दिया था ऐसी स्थिति में उक्त 1 बीघा आराजी छोड़ कर ही बंटवारे का आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की ओर कोई गौर नहीं फरमाया । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में दिनांक 21.05.2016 की जगह 21.05.2015 गलत दिनांक अंकित की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट फकीर चन्द के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही अपीलांट ने किसी प्रकार की सहमति ही दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2016 अपास्त किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2016 की है जबकि आदेशिका में दिनांक 21.05.2015 अंकित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में पारित किया है जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षकारान की सहमति के बाद ही निर्णय पारित किया जाता है । अपीलांट को कैम्प बाबत भी कोई सूचना नहीं दी गई है । लोवर कोर्ट में जवाबदावे

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

में पूर्व में बंटवारा हो चुका था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तनकीयात भी कायम हो गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया तथा साक्ष्य भी नहीं ली गई । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2015 (2) पेज 990, आर आर डी जनवरी 2003 पेज 20, ए आई आर 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 9, आर आर डी 1982 पेज 332, आर आर डी 1992 पेज 17, आर आर डी 1989 पेज 820 पेश की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट ने आर आर डी 1982 पेज 332, आर आर डी 1992 पेज 17, आर आर डी 1989 पेज 820 पेश की जो मियाद के बिन्दु पर चस्पा होती है । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है, जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो, विधिक राजीनामे के अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.11.2020 को उपस्थित होवें ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
मु. प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा